

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)









R5167-IIIS

सुरेश प्रसाद वर्मा तनय स्व0 श्री रामसुन्द्रर वर्मा, उम्र लगभग 53 वर्ष, पेशा नौकरी (शिक्षक), निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवाँ) तहसील व थाना मनगवाँ, जिला रीवा (म0प्र0)

ही बिनार विनाम एड देशा मन प्रमुख । 10/1/15

—आवेदक / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1— प्रेमवती पत्नी स्व0 रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 60 वर्ष, पेशा नौकरी
- 2— सुनीता पुत्री रामनाथ विश्वकर्मा, उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी ग्राम खम्हारी (मनगवाँ) तहसील व थाना मनगवाँ, जिला रीवा (म०प्र०), वर्तमान निवासी वार्ड क०—26 पोखरी टोला रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)

अनावेदकगण / गैरनिगराकारगण राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवॉ, तहसील मनगवा, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क0—19—3—12 / 14—15 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 08 / 06 / 15 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

m

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं0—60/20 के सीमावर्ती स्वामी विकेता अनावेदिकागण है । आवेदक ने भूमि खसरा क0—60/7, 60/6 व 60/5 का नक्शा सुधार हो जाने के बाद भूमि खसरा क0—60/6(क) की भूमिस्वामी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

	सुरेश प्रसाद वर्मा / प्रेमवती विश्वकर्मा (2) (3)
(1)	(4)
16.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत।
	2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु
	सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
	3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं
	है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहते प्रकरण अदम परपा
	में खारिज किया जाता है।
	4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात
	प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।
	सदस्य
1 · · · · ·	